

**क** मो० नं0 : 09473942644,

## कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा — 282 004

429 / नमामि गंगे आगरा

1122

दिनांक 07.06.2023

सेवा में.

प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग

विषय:--

जनपद आगरा में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना में बांईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत प्रस्तावित डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की कुल 0.9024 है. आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी / यू०पी० / 09 / 94 / 2023 / एफ.सी. / 153, दिनांक 31.05.2023 द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना / जानकारी चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में चाही गयी सचना / जानकारी निम्नानुसार है:-

है। उ	क्त के सम्बन्ध में चाही गयी सूचनी/जीनकारी निम्नानुसार	( b
क्र.सं.	वांछित सूचना	सूचना/जानकारी
1	As per kml file and area proposed for diversion is 0.0507 ha, which is not matching with the proposal areakml file of the area proposed for diversion needs to be rectified. The complete .kml file of the area proposed for diversion needs to be uploaded on PARIVESH portal.	Requisite kml file of the area proposed for diversion has been uploaded on PARIVESH portal.
2	CA needs to be proposed in equivalent non- forest land. Accordingly, CA scheme, kml file and related documents need to be uploaded on PARIVESH portal.	Land for CA has been allotted to you by ADM (E) vide letter no. 735/प–206/डीoएलoआरoसीo dated 19-08-2021 and rest of the formalties are to be done by your office. So it is kindly requested to you to take necessary action for the same.

अतः आपसे अनुरोध है कि डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु कुल 0.9024 हे. आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी कार्य की अनुमति कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन.जी.टी. से आच्छादित एवं भारत सरकार की अतिमहत्वपूर्ण नमामि गंगे योजना को ससमय पूर्ण किया जा सके। संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
- 2. सम्बन्धित परियोजना अभियन्ता / सहायक परियोजना अभियन्ता।

स्क प्रक जल निगन (ग्रामीण), आपरा

परियोजना प्रबंधक

pyny. PCV.

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्याः ७३८ / प-२०६/ डीएलआरसी

19/8/2021 विनाकःअयन्त्यन 2020ई०

विषय:

नमामि गंगे कार्यक्रगान्तर्गत डी०एरा०टी०पी० निर्गाण हेतु प्रतिपुरम् वृत्रीक्ररणः है जिय टी0टी0जैड0 क्षेत्र में 1.81 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट भृमि आर्पात कराने के सम्बन्ध हैं।

परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई. उ०प्र० जल निगम, आगरा।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-674/आगरा सीवरेज(I&Dवर्वस) योजना/05 दिनोंक 06.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा तहसील खेरागढ़ के ग्राम दिवाली खेरागढ़ के गाटा संख्या—3क रकवा 31.906 हैं। (वंजर) भूमि में से 1.81 हेक्टेंयर भूमि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आरक्षित कराने का अनुरोध किया गया है।

तत्सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी, खेरागढ़ के पत्र संख्या-229 /र0का0 दिनांक 12.8.2021 में तहसील खेरागढ़ के ग्राम विधौली खेरागढ़ के गाटा संख्या-उर्क रकवा 31.906 हैं (बंजर) भूमि में से 1.81 हेक्टेयर भूमि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आरक्षित करने की आख्या प्रस्तुत की है।

अतः उप जिलाधिकारी, खेरागढ़ की आख्या / पत्रांक-229 / राकार दिनांक 12.8 2021 में प्रस्तावित मौजा विधौली खेरागढ़ के गाटा संख्या-उक रकवा 31.906हैं0 में से 1.81हैं0 बंजर भूमि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आरक्षित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधियाँ आदि संचालित नहीं की जायें और ना ही कोई स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति का निर्माण कार्य किया जाय। उक्त भूमि पर मात्र प्रतिपूरक वनीकरण ही किया जाय। उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा का ही रहेगा।

संलग्नक:यथोपरि ।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), आगरा।

## संख्या व दिनांकःतद

प्रतिलिपिः-

आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेपित है।

जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे0), उ०प्र० जल निगम, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रमागीय निदेशक, सामालिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, खेरागढ़, आगरा को उनके आख्या / पत्रांक-229 / राकार दिनांक 12.8.2021 के सन्दर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप प्रतिपूरक वनीकरण हेत् आरक्षित गौजा विधौली खेरागढ़ के गाटा संख्या-उक एकवा 31,906हैं0 में से 1,81हैं0 बंजर भूभि 5-का त्थल पर चिन्हांकन करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त उक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अंकन कराकर आख्या मौके नजरी-नवशा एवं खसरा-खतौनी की प्रति अविकृष इस कार्यालय

में भिजयाना सुनिश्चित कारें।

THE 2915 Hallo (NO 27.00.202) अविशे क्यान्य अन्य प्रमुण विशेष हर्का प्राप्त पत निषय स्था अपर जिल्लाचिकारी (प्रशासन),

P.M.Y.P.C. U. A.S.

यमुना प्रदूषण नियंत्रण हुकाई उठ 🕬 जल नियम (प्रामीण), आपरा